न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 38/16 निर्णय दिनांकः– 16.X.17

1. श्रीमति शांति पत्नी स्व. रूघाराम उर्फ रूधजी जाति ढाढी ग्राम साधरसर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल चक 10 डीडब्ल्यूडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला
2. भींयाराम पुत्र श्री हीरारम जाति जाट निवासी चक 10 डीडब्ल्यूडी तहसील पूगल, जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 31–07–2015
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः–

1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुरेन्द्र कुमार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय दिनांक 31–07–2015 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के पति स्व. श्री रूधाराम को चक 10 डीडब्ल्यूडी के मुरब्बा

नम्बर 70/44 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 25 कुल 9 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 13, 18, 23, 24 कुल 4 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 13 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए सीधे ही एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अपीलांट एक गरीब विधवा महिला है। जो कानूनी पेचिदगियों पड़ना नहीं चाहती है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। अदालत मातहत ने भी इस तथ्य को माना है कि प्रार्थी को अन्य भूमि आवंटन की जानी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को पात्रता अनुसार अन्य भूमि आवंटन के आदेश प्रदान करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि चूंकि वादगत् आराजी रेस्पोडेन्ट को आवंटन हो चुकी है। मौके पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार अन्य भूमि का आवंटन किया जाता है तो उसे कोइ आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–07–2015 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 29–03–2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. **(अ)** हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने द्वारा अपीलांट के पति स्व. रूधाराम के नाम चक 10 डीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 70/44 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 25 कुल 9 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 13, 18, 23, 24 कुल 4 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 13 बीधा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया व आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। तत्पश्चात् हल्का पटवारी रिपोर्ट "कि उक्त आराजी रूधाराम पुत्र उमाराम ढाढी को पुख्ता आवंटन है व आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है," के आधार पर अदालत मातहत ने उक्त आवंटन को खारिज किये बिना आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(ब) प्रकरण में अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। अदालत मातहत ने स्वयं माना है कि प्रार्थी को अन्य भूमि आवंटित की जानी है।

(स) अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन में स्वीकार किया है कि यदि अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटित की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्व. रूधाराम पुत्र उमाराम के वारिसों की जॉच करते हुए, पात्रता अनुसार अन्य भूमि आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.X.17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर